

कार्यालय नगर परिषद, किशनगंज

पत्रांक..... दिनांक.....

प्रेषक :- कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद किशनगंज।

सेवा में,
महालेखाकार (ले0प0)
बिहार, पटना।

विषय :- नगर परिषद किशनगंज के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 261/16-17 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 11 दिनांक 27.07.17


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में स्थानीय लेखा परीक्षा, शाखा पटना के पत्रांक 14602/260 दिनांक 28.10.16 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखाओं पर आधारित अंकेक्षण प्रतिवेदन 261/16-17 से संबंधित आपत्तियों का निराकरण कंडिकावार साक्ष्य सहित नगर परिषद की बैठक से अनुमोदनोपरांत समर्पित की जा रही है।


अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिकाओं का निष्पादन करने की कृपा की जाय।

अनु0 :- कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित संलग्न।

विश्वासभाजन


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, किशनगंज


ज्ञापांक..... दिनांक.....
प्रतिलिपि :- अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।



कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, किशनगंज
म-2.19

**किशनगंज नगर परिषद की बोर्ड की बैठक दिनांक- 10.01.2019 को ली
गई प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि।**

प्रस्ताव अनाम्य सं0-04- सर्व सम्मति से नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 1111, दिनांक- 27.07.2017 जो स्थानिय लेखा परिक्षा शाखा पटना के प्राप्त पत्र संख्या- 14602/260, दिनांक- 28.10.2016 के वित्त वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखाओं पर आधारित अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या- 261/2016-17 में दिये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग- II(B) के कंडिका- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 के अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन पार्षद की बैठक के समक्ष रखा गया, जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदन की स्वीकृति दी जाती है।

अभिप्रमाणित


कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, किशनगंज।


4.2.19

ह0/-

मुख्य पार्षद,
नगर परिषद, किशनगंज।

कार्यालय, नगर परिषद किशनगंज

अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग- II(B) 261/16-17

①

| | | |
|----------|--|--|
| कंडिका-1 | IHSD योजनाओं में की गई अनियमितताओं की जाँच की जाय और की गई कार्रवाई का साक्ष्य संलग्न करें। | IHSD योजनाओं से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन संलग्न किया जाता है। परिशिष्ट ...0.1..... पर संलग्न है। पृष्ठ- 6 |
| कंडिका-2 | बकाया सविस टैक्स की राशि रु0 3.62 लाख संबंधित व्यक्तियों से वूलकर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य। | सर्विस टैक्स वसूली से संबंधित किसी प्रकार का मार्गदर्शन एवं आदेश नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त नहीं रहने के कारण वसूल नहीं की जा सकी। |
| कंडिका-3 | संचार मिनारों पर बकाया रजिस्ट्रेशन/नवीकरण शुल्क की राशि रु0 35 लाख वसूल कर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य। | कुल मो0 7,10,000.00 (सात लाख दस हजार) रुपये की वसूली कर ली गई है। बकाया राशि हेतु संबंधित टावर संचालकों से पत्राचार किया गया है। परिशिष्ट ...0.2..... पर संलग्न है। पृष्ठ 7 to 27 |
| कंडिका-4 | बकाया होल्डिंग/संपत्ति कर की राशि रु0 2566091/- को संबंधित व्यक्तियों से राशि वसूलकर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य। | वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के बकाया होल्डिंग टैक्स की अधिकांश राशि वसूल कर ली गई है। वर्ष 2013-14 से 2015-16 के बकाये पर स्व-कर निर्धारण के कारण बकाया Assessment होने के कारण बकाया टैक्स की राशि वसूली में वृद्धि हुई है। (साक्ष्य संलग्न) Self Assessment में बकाये वर्ष पर भी टैक्स में Assessment हुआ है। परिशिष्ट ...0.3..... पर संलग्न है। पृष्ठ 28 to 54 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| <p>कंडिका-5</p> | <p>बकाया दूकान किराया की राशि रु0 1562560/- को संबंधित व्यक्तियों से राशि वसूलकर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य।</p> | <p>बकाया दुकान किराया की राशि मो0 12,51,657.00 (बारह लाख एकावन हजार छह सौ संतावन) रुपये वसूली की गई है। शेष राशि वसूली हेतु सूचना निर्गत की गई है एवं मुकदमा की कार्रवाई की जायेगी। परिशिष्ट ...04.... पर संलग्न है। पृष्ठ-55+667</p> |
| <p>कंडिका-6</p> | <p>(i) दूकानों पर बकाया राशि रु0 801094/- को संबंधि व्यक्तियों से वसूलकर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य। (ii) कटौती की गई स्टाम्प ड्यूटी की राशि रु0 37413/- को सरकारी कोष में जमा करने संबंधी साक्ष्य। (iii) मो0 नियाज से बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि रु0 2100/- को वसूलकर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य।</p> | <p>(i) दूकानदारों से बकाया राशि वसूल कर शीर्ष में जमा कर दी गई है। (साक्ष्य संलग्न) परिशिष्ट ...15..... पर संलग्न है। पृष्ठ 68+73 (ii) संबंधित शीर्ष की जानकारी प्राप्त कर, राशि शीर्ष में जमा कर दी जायेगी। (iii) बकाया Stamp duty की राशि मो0 2100/- रुपये जमा कर ली गई है। परिशिष्ट ...05..... पर संलग्न है। पृष्ठ 74</p> |
| <p>कंडिका-7</p> | <p>कटौती की गई वैट की राशि रु0 291916/- आयकर की राशि रु0 102914/-, लेबर सेस की राशि रु0 74564/- और रॉयल्टी की राशि रु0 168900/- को संबंधित व्यक्तियों से वसूलकर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य।</p> | <p>संबंधित राशि जमा से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न किया जाता है। परिशिष्ट ..06..... पर संलग्न है। पृष्ठ 75+81</p> |
| <p>कंडिका-8</p> | <p>(i) वैट की राशि रु0 313740/- की वसूली कर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य। (ii) टेम्पो खरीद में की गई अनियमितताओं की जाँच की जाय और की गई कार्रवाई का साक्ष्य।</p> | <p>(i) Tata Motors द्वारा चार टिपर क्रय का 13.5% की दर से मो0 1,84,678.00 रुपये वैट की कटौती की जा चुकी है। वैट कटौती प्रमाण पत्र संलग्न। शेष कार्य मजदूरी से संबंधित है। परिशिष्ट ..07..... पर संलग्न है। पृष्ठ 82+85 (ii) क्रय समिति जिसका संचालन अपर समाहर्ता द्वारा किया गया है, में यह निर्णय लिया गया है कि मो0 3,11,126.00 रुपये में 03 व्हीलर टेम्पों के जगह मो0 5,81,000.00 रुपये में टाटा ACE275 No 10HP का 4 व्हीलर टिपर क्रय करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के आलोक में मो0 5,81,000.00 रुपये में टाटा टिपर का क्रय</p> |

| | | |
|-----------|---|--|
| | | <p>किया गया। क्रय समिति का तुलनात्मक विवरणी एवं क्रय समिति द्वारा लिये गये प्रस्ताव की छायाप्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न है। परिशिष्ट ...०९..... पर संलग्न है। पृष्ठ ८६ १० १०</p> |
| कंडिका-९ | <p>बकाया आयकर की राशि रु० ६९३५/- की संबंधित व्यक्ति से वसूलकर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य।</p> | <p>बकाया आयकर की राशि मो० ६९३५/- रुपये आयकर विभाग में जमा करने हेतु मनीष प्रसाद, नगर प्रबंधक, बाढ़, नगर परिषद को सूचित किया जा चुका है। सूचना की प्रति संलग्न। परिशिष्ट ...०९..... पर संलग्न है। पृष्ठ ९१</p> |
| कंडिका-१० | <p>बकाया बंदोबस्ती की राशि रु० १.७३ लाख की वसूली कर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंध साक्ष्य।</p> | <p>बकाया बंदोबस्ती की राशि मो० १.७३ लाख रुपये वसूल कर ली गई है। (साक्ष्य संलग्न) परिशिष्ट ...१०..... पर संलग्न है। पृष्ठ ९२ १० १५</p> |
| कंडिका-११ | <p>(i) स्टाम्प शुल्क की वसूली गई राशि रु० २६५५००/- उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य। (ii) बकाया स्टाम्प शुल्क की राशि रु० ९५०८/- की वसूलीकर उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य।</p> | <p>(i) संबंधित शीर्ष की जानकारी प्राप्त कर, राशि शीर्ष में जमा कर दी जायेगी। (ii) संबंधित से राशि वसूली कर, उचित शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।</p> |
| कंडिका-१२ | <p>योजनाओं में की गई अनियमितताओं की जाँच की जाय और की गई कार्रवाई का साक्ष्य संलग्न करें।</p> | <p>विभागीय तौर पर कराये गये योजना में प्राक्कलन में अंकित दर पर ही भुगतान किया गया है। जहाँ तक अभिश्रव का प्रश्न है अभिकर्ता सह कनीय अभियंता द्वारा H.R. पर सामग्री का क्रय किया गया है।</p> |

| | | |
|------------------|---|--|
| <p>कंडिका-13</p> | <p>योजनाओं में की गई अनियमितताओं की जाँच की जाय और की गई कार्रवाई का साक्ष्य संलग्न करें।</p> | <p>योजना सं0 05/2013-14 की प्राक्कलित राशि मो0 44,50,982.00 रुपये है। जो 15% Below पर रविश रंजन संवेदक को कार्य आवंटित किया गया। संवेदक द्वारा योजना में एकरारनामा की राशि से 9.34% कार्य अतिरिक्त की गई है। जो कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण के अधिभार क्षेत्र के अन्तर्गत पुनरिक्षित प्राक्कलन एवं प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान किया गया है। प्राक्कलन एवं प्रतिवेदन की छयाप्रति संलग्न है। परिशिष्ट11..... पर संलग्न है।</p> |
| <p>कंडिका-14</p> | <p>योजनाओं में की गई अनियमितताओं की जाँच की जाय और की गई कार्रवाई का साक्ष्य संलग्न करें।</p> | <p>योजना सं0 03/2013-14 की प्राक्कलित राशि मो0 33,27,265.00 रुपये है। जो 15% Below पर नफीस आलम संवेदक को कार्य आवंटित किया गया। संवेदक द्वारा योजना में एकरारनामा की राशि से 7.09% कार्य अतिरिक्त की गई है। जो कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण किशनगंज के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत पुनरिक्षित प्राक्कलन एवं प्रतिवेदन के आधार पर संवेदक को भुगतान किया गया है। प्राक्कलन एवं प्रतिवेदन की छयाप्रति संलग्न है। परिशिष्ट12..... पर संलग्न है। ४७४-९५१९६</p> |
| <p>कंडिका-15</p> | <p>होलिडिंग/सम्पत्ति/दुकान किराया मद में वसूल की गई राशि रू0 71877/- को उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य।</p> | <p>होलिडिंग टैक्स/दुकान किराया मद में वसूली की गई राशि मो0 71,577.00(एकहत्तर हजार पाँच सौ सतहत्तर) रुपये नगर परिषद कोष में जमा कर दी गई है। (साक्ष्य संलग्न) परिशिष्ट13..... पर संलग्न है। ४७४-९७२९४</p> |

| | | |
|-----------|---|--|
| कंडिका-16 | नक्शा पारित करने में बकाया श्रम सेस की राशि रु0 1731488/- की वसूली संबंधित व्यक्तियों से करके उसे उचित शीर्ष में जमा करने संबंधी साक्ष्य। | प्रधान सचिव -सह- अध्यक्ष, बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम संसाधन बिहार, पटना के पत्रांक सं0 बी0सी0 डब्लू0 सी0 171/2018 श्र0सं0 11 दिनांक 04.01.19 के आलोक में सभी भवन का स्वीकृति पत्र की प्रति श्रम अधीक्षक -सह- उप कर संग्रहक को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उपकर संग्रहण का कार्य उनके द्वारा किया जा सके। (पत्र की प्रति संलग्न) परिशिष्ट सं014..... है। पृष्ठ- 1152/16 |
|-----------|---|--|

कार्यपालक प्रमुख
नगर परिषद किशनगंज

28/1/19